न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
7/2023	17/05/2023	10/09/2025

1. प्रेमशंकर पुत्र प्रभू जाति नाई निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. सीताबाई पत्नि स्व. प्रभू जाति नाई निवासी करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज० भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुसगत तथ्य इस प्रकार है कि बंदोबस्त सम्वत् 2041–2060 से पूर्व ग्राम करवाड तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.) के माल में खसरा संख्या 1026/640 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थीक्रम 1 के पिता व प्रार्थीयाक्रम 2 के स्व. पति प्रभू पुत्र भैरु नाई की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो कि मुख्य सडक के सहारे स्थित थी तथा गत खसरा 2 के दक्षिण दिशा मे खसरा संख्या 1 स्थित था। बंदोबस्त से पूर्व का नक्शा मय राजस्व रिकार्ड के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि भू– प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041 से 2060 के फलस्वरूप गत खसरा संख्या 1026/840 के नवीन खसरा संख्या 798 रकबा 0.52 हैक्टर तथा खसरा संख्या 802 रकबा 1.07है., कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.59है., पैमुद किए गऐ। यह कि भू– प्रबन्धन संक्रिया सम्वत् 2041 से 2060 के उपरान्त नक्शा लठ्ठा मे गत खसरा संख्या 1026/640 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के नवीन खसरा संख्या 697 व 802 को कुल रकबा 1.84है., दर्शित किये जाने योग्य रकबे को 1.59है. रकबा दर्ज कर लगभग 0.25है.. रकबा सेटलमेन्ट प्राधिकारीगण द्वारा कम रकबा दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीगण के पास भूमि पूर्वतन 1.84 है. भूमि उपलब्ध है एवं प्रार्थीगण मौके पर तदनुसार कब्जा काश्त है। यह कि भू– प्रबन्धन विभाग को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे गत खसरा संख्या 1026/840 कुल रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा को वर्तमान रिकार्ड को माप ईकाइ मे कनवर्ट करते समय रकबा कम दर्ज करे जबकि प्रार्थी को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह इस सक्षम सम्मानीय न्यायालय की सहायता से नवीन खसरा संख्या 798 व 802 को बंदोबस्त से पूर्व के रकबे के मुताबिक ही खसरा संख्या के मुताबिक पूर्ववत 1.84 है., भूमि दर्ज करावे एवं समिवर्ती सिवायचक खसरा संख्या 795 रकबा 799 को सिवायचक माल प्रथम के नम्बर को राजस्व रिकोर्ड को प्रार्थीगण के खाते दर्ज कर कमी रकबे को दुरस्त कर वर्तमान खाता 1.59है. भूमि के स्थान पर 1.84है. भूमि दर्ज करावे एवम् वर्तमान ऑनलाइन नक्शे मे दर्ज करवाऐं। तदर्थ श्रीमान की सेवा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से विनय है कि ग्राम करवाड वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के खाते को दुरस्त किया जाकर खसरा संख्या 795 व 799 को प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर बंदोबस्त से पूर्व के नक्शे एवम् वर्तमान मौका स्थिति के अनुरूप ही राजस्व रिकार्ड एवं लठ्ठा मे एवम् वर्तमान ऑनलाइन नक्शे मे दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान काने की कृपा करें।

र्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त है। शामिल पत्रावली है। जवाब सरकार की बिन्दूवार रिपोर्ट निम्नानुसार है:—

1. यह कि ग्राम करवाड की जमाबन्दी सम्वत 2031—34, 2035—38 में आराजी ख0नं0 1027/640 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा खातेदार प्रभू वल्द भेरू जाति नाई साकिन देह दर्ज रिकॉर्ड थी। जो वादी के पिता है। (सलंग्न जमाबन्दी सम्वत 2031—34, 2035—38 एवं संलग्न सनद (पट्टा) की फाटोप्रतिया)
2. यह कि जमाबन्दी सम्वत 2041—60 एवं मिलान क्षेत्रफल 2041—60 आराजी ख0नं0 798 रकबा 0.52है0, ख0नं0 802 रकबा 1.07है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.59है0 दर्ज है। (संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2041—60 मिलान क्षेत्रफल)
3. यह कि सेटलमेंट सम्वत 2041—60 के पश्चात साविक ख0नं0 1027/640 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के नवीन ख0नं0 798 व 802 कुल किता 2 कुल रकबा 1.86है0, दर्ज किए जाने योग्य रकबे को 1.59है0 रकबा दर्ज कर 0.27है, रकबा कम दर्ज कर दिया गया है।

साबिक ख0नं0 मय रकबा	हाल ख0नं0 मय रकबा	कमी/वेशी रकबा
1027/640 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा	798 रकबा 0.52है0 802 रकबा 1.07है0 कुल रकबा 1.59है0	कमी 0.27है0

4. वादीगण के उक्त कमी रकबे की पूर्ति ग्राम करवाड के आराजी ख0नं0 809 रकबा 0.27है0 किस्म चाही प्रथम सिवायचक खाता सरकार से किया जाना अपेक्षित है। मौके पर कब्जा काश्त नहीं है।
5. यह कि जमाबन्दी सम्वत 2074—77 में आराजी ख0नं0 798 रकबा 0.52है0, 802 रकबा 1.07है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.59है0 में खातेदार प्रेमशंकर पुत्र प्रभू व सीताबाई पत्नि स्व0 प्रभू जाति नाई सा0देह दर्ज रिकॉर्ड है।

बहस सुनी गई। सलंग्न दस्तावेज:—

1. वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074—2077 ग्राम करवाड पटवार हल्का करवाड तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. जमाबन्दी सम्वत् 2041—2060 ग्राम करवाड तह. पीपल्दा जिला कोटा राज. खाता संख्या 139
3. जमाबन्दी सम्वत् 2031—2034 ग्राम करवाड तह. पीपल्दा जिला कोटा राज. खाता संख्या 139
4. जमाबन्दी सम्वत् 2035—2038 ग्राम करवाड तह. पीपल्दा जिला कोटा राज. खाता संख्या 112
5. नक्शा मानचित्र ग्राम करवाड सन् 1979 तह. पीपल्दा जिला कोटा राज.
6. मिलान क्षेत्रफल ग्राम करवाड सेटलमेन्ट
7. जमाबन्दी ग्राम करवाड सम्वत् 2074—77
8. राजस्थान उपनिवेश (सामान्य उपनिवेश) का पट्टा
9. मिलान क्षेत्रफल ग्राम करवाड सेटलमेन्ट
10. नक्शा मानचित्र ग्राम करवाड सन् ख.स. 798
11. नक्शा मानचित्र ग्राम करवाड ख स. 862

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का सांगोपांग अध्ययन मनन करने पर पाया कि ग्राम करवाड के बन्दोबस्त साबिक ख0नं0 1027/640 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा(जो कि दाशमिक प्रणाली में 1.84 हैक्टेयर होता है) के भू—प्रबंध संक्रिया के

श्चात नवीन ख0नं0 798 रकबा 0.52है0, एवं ख0नं0 802 रकबा 1.07है0 कुल किता कुल रकबा 1.59है0 बने है जो कि 0.25है0 रकबा कम बनाया गया है। परन्तु किसी ही रकबे पर खातेदारी अधिकार देने से पहले उस रकबे पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त होना एक आवश्यक शर्त है। प्रासंगिक प्रकरण में जवाब सरकार तहसीलदार पल्दा की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2024 में चाहे गए कमी पूर्ति रकबे पर मौके पर कब्जा काश्त होना नहीं पाया गया है।

अतः कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा